**भारत सरकार**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3592**
**17 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ**

**विषय: महिला किसानों के लिए सहायता**

**3592. डॉ. गुम्मा थानुजा रानी:**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने महिला किसानों को वित्तीय एवं अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजनाएं कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास पीएम-किसान योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

**(क) एवं (ख) :** सरकार महिला किसानों सहित किसानों के लिए योजना दिशानिर्देशों में विद्यमान पात्रता और शर्तों के अनुसार वित्तीय और इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है।

महिला किसानों सहित किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर्ल और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i. आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में, पूरे भारत में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का समर्थन करके बेहतर कृषि को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य महिला किसानों सहित किसानों को सशक्त बनाना तथा ऋण संस्थानों के माध्यम से अधिकतम 9% की ब्याज दर पर मध्यम से दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराकर उनकी आय को बढ़ाना है। एआईएफ के तहत, फार्म-गेट और एग्रीगेशन पॉइंट पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए ऋण दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए उधारकर्ताओं को सात वर्ष तक की अवधि के लिए 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट का लाभ मिलता है। उधारकर्ताओं को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, इस पहल में 7 वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए ऋण गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता शामिल है, जिससे ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के लिए वित्तीय जोखिम कम हो जाता है।

ii. कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) एक पूंजी निवेश, खुली अवधि वाली, मांग आधारित और ऋण से जुड़ी योजना है, जिसमें लाभार्थी की पात्र श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% की दर से बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। यह सहायता व्यक्तियों, महिला किसानों सहित किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, कृषि-उद्यमियों, पंजीकृत कृषक उत्पाद संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि के लिए उपलब्ध है।

iii. महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'नमो ड्रोन दीदी' को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उद्देश्य (उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन उपलब्ध कराना है।

iv. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत महिला किसानों सहित किसानों को शीघ्र खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) के विकास के लिए सहायता उपलब्ध है, जिसमें पैक हाउस की स्थापना, एकीकृत पैक हाउस, प्री-कूलिंग, स्टेजिंग कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण, रीफर ट्रांसपोर्ट, प्राथमिक/मोबाइल प्रसंस्करण इकाइयां, राइपनिंग चैम्बर की स्थापना और एकीकृत कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली आदि शामिल हैं।

v. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में धनराशि जारी की जाती है। आरकेवीवाई मुख्य रूप से एक परियोजना उन्मुख योजना है, जिसका लाभ महिलाओं सहित कृषक समुदाय के सभी वर्गों को मिलता है।

vi. केन्द्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को आय और रोजगार सृजन के लिए मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास हेतु वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने, कृषि और गैर-कृषि परिवारों को आजीविका सहायता प्रदान करने और कृषि/बागवानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।इस योजना को 3 मिनी मिशनों (एमएम) - एमएम-I, एमएम-II और एमएम-III के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जागरूकता, क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण, मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिला सशक्तीकरण पर ध्यान, अपेक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की स्थापना, अर्थात; एमएम-I के तहत एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी), मधुमक्खी रोग निदान प्रयोगशालाएं, शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन, मधुमक्खी पालन उपकरण विनिर्माण इकाइयां, कस्टम हायरिंग केंद्र, एपी-थेरेपी केंद्र, गुणवत्ता न्यूक्लियस स्टॉक केंद्रों और मधुमक्खी प्रजनकों का विकास आदि, एमएम-II के तहत प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, बाजार समर्थन आदि और एमएम-III के तहत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी सृजन पर जोर दिया गया है।

vii. ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग डीएवाई-एनआरएलएम दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के उप-घटक के रूप में 'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)' योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने तथा ग्रामीण महिलाओं की स्थायी आजीविका बनाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके उन्हें सशक्त बनाना है। महिला किसानों को प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत गठित किसान उत्पादक समूहों को सामूहिक विपणन के लिए विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 1 दिसंबर, 2018 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में महिला किसानों सहित सभी भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कुछ अपवाद मानदंडों के अधीन है, ताकि वे कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों का ध्यान रख सकें। इस योजना के तहत, किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपये की तीन 4-मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि अंतरित की जाती है। पीएम-किसान के तहत 18वीं किस्त से लाभान्वित महिला लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण (03.12.2024 तक) **अनुबंध** में है।

(घ) :कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न केन्द्र प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत किसानों को योजना दिशानिर्देशों में पात्रता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय महिला कृषि संस्थान (सीआईडब्ल्यूए), भुवनेश्वर और आईसीएआर, नई दिल्ली द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) भी विशिष्ट विषयों पर कृषि क्षेत्र में महिला किसानों सहित किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्रसारित की जा रही है। साथ ही, कृषि क्षेत्र में योजनाओं के बारे में जागरूकता और सूचना प्रसार के लिए कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि सखियों को पैरा कृषि विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित, प्रमाणित और मान्यता दी गई है और उनकी सेवाओं का उपयोग कृषि क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा रहा है।

**अनुबंध**

पीएम-किसान के तहत 18वीं किस्त से लाभान्वित महिला लाभार्थियों का राज्यवार विवरण (03.12.2024 तक)

| # | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | महिला लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 4,758 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 14,08,093 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 47,925 |
| 4 | असम | 4,37,715 |
| 5 | बिहार | 23,33,893 |
| 6 | छत्तीसगढ | 4,77,003 |
| 7 | दिल्ली | 1,834 |
| 8 | गोवा | 862 |
| 9 | गुजरात | 13,31,953 |
| 10 | हरियाणा | 2,62,934 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 1,38,880 |
| 12 | जम्मू और कश्मीर | 88,240 |
| 13 | झारखंड | 5,63,750 |
| 14 | कर्नाटक | 10,49,431 |
| 15 | केरल | 12,36,856 |
| 16 | लद्दाख | 2,953 |
| 17 | लक्षद्वीप | 1,098 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 16,28,404 |
| 19 | महाराष्ट्र | 17,78,600 |
| 20 | मणिपुर | 47,211 |
| 21 | मेघालय | 1,04,507 |
| 22 | मिजोरम | 46,252 |
| 23 | नागालैंड | 94,919 |
| 24 | ओडिशा | 7,54,601 |
| 25 | पुदुचेरी | 2,941 |
| 26 | पंजाब | 7,058 |
| 27 | राजस्थान | 22,01,131 |
| 28 | सिक्किम | 6,897 |
| 29 | तमिलनाडु | 4,91,253 |
| 30 | तेलंगाना | 8,67,620 |
| 31 | दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव | 2,662 |
| 32 | त्रिपुरा | 51,376 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 42,12,328 |
| 34 | उत्तराखंड | 1,36,072 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 8,15,031 |
| | **कुल योग** | **2,26,37,041** |

********